


"प्ररूप 3क
[नियम 10क (1) (ख) देखें]
नागरिकता नियम, 2009

ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत के कसी नागरिक से ववाहित है या रहा है, जो
नागरिकता अधनियम, 1955 की धारा 5(1)(ग) के अधीन शर्तों को पूरा करता है,
अधनियम की धारा 6ख के अधीन भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लए
आवेदन

टिप्पण : कृपया स्पष्ट अक्षरों में लखें/प्रंट करें

भाग 1



1. मैं, (आवेदक का पूरा नाम) निवासी..... (पूरा डाक पता) का वय: प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य काकी हूँ तथाको.....(तहसील, जिला, राज्य और देश सहित) में पैदा हुआ था/हुई थी और.....का नागरिक हूँ ।
2. मेरे पता का पूरा नाम है और उनका जन्म को (पूर्ण डाक पता) में हुआ था और वह के नागरिक हैं ।
3. मेरी माता का पूरा नाम है और उनका जन्म को (तहसील, जिला, राज्य और देश सहित) में हुआ था और वह की नागरिक हैं ।
4. मेरा ववाह, श्री/श्रीमती (पति/पत्नी का पूरा नाम) से को (तहसील, जिला, राज्य और देश सहित) में हुआ था ।
5. मेरे पति/मेरी पत्नी का जन्म को (तहसील, जिला, राज्य और देश सहित) में हुआ था और वह जन्म/वरासत/रजिस्ट्रीकरण*देशीयकरण* द्वारा भारत काकी नागरिक है ।
6. मेरा ववाह अस्तित्व में है । हां / नहीं
7. भारत में निवास के ब्यौरे :

(क) भारत में प्रवेश की तारीख

(ख) मैंने आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 12 मास की

हां/नहीं

अवध के दौरान लगातार भारत में निवास क्या है

- (ग) बारह मास की उक्त अवध से ठीक पूर्ववर्ती आठ वर्षों के दौरान, मैं छह वर्ष से अन्यून की सकल अवध के लए भारत में रहा हूं

हां/नहीं

- (घ) अंतिम नौ वर्षों के लए भारत में निवास के पते सहित ब्यौरे

क्र. सं.	अंतिम नौ वर्षों के लए भारत में निवास के पते सहित ब्यौरे	से	तक	वर्ष मास
1	2	3	4	5

8. (क) लंग:.....
(ख) उपजीवीका :.....
(ग) यदि सेवारत है तो नियोजक का पता :.....
(घ) पहचान चन्ह:
9. कृपया वनिर्दिष्ट करे क आप अफगानिस्तान, बंगलादेश और पाकस्तान से कस अल्पसंख्यक समुदाय, अर्थात्, हिन्दू, सख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबं धत है
10. पासपोर्ट की व शष्टियां : (यदि उपलब्ध हैं)
(क) देश :.....
(ख) संख्यांक :
11. वीजा कब तक व धमान्य है (यदि उपलब्ध हैं) :
12. परिवार के सदस्यों के ब्यौरे, जो भारत में आवेदक के साथ रह रहे हैं :

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पता	संबंध	आयु
1	2	3	4	5

13. आपरा धक कार्यवाहियों के ब्यौरे, यदि कोई हो:

क्र. सं.	आपरा धक कार्यवाहियों की प्रकृति	मामले के रजिस्ट्रीकरण की तारीख और स्थान	मामले की वर्तमान प्रास्थिति	न्यायालय का निर्णय
1	2	3	4	5

भाग 2

14. मैंने भारत की नागरिकता को पूर्व में त्यागा/नहीं त्यागा है या मुझे भारत क नागरिकता से वं चत कया गया/नहीं कया गया है ।

(यदि आवेदक ने अपनी भारत की नागरिकता को त्यागा है, यहां उस तारीख का उल्लेख करे, जिसको त्याग की घोषणा की गई है ; या यदि उसे उसकी नागरिकता से वंचित किया गया है, तो वह तारीख, जिसको और प्राधिकारी, जिसके द्वारा वंचन का आदेश किया गया था, कथत कये जाएं ।)

15. मैंने भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पूर्व में आवेदन किया/हीं किया है और आवेदन खारिज किया/हीं किया गया है ।
16. मैं घोषणा करता हूं कि मेरा आशय भारत को अपना स्थायी घर बनाने का है और मैं वचन देता हूं कि मेरे आवेदन का अनुमोदन होने की दशा में, मेरे देश की नागरिकता अप्रतिसंहरणीय रूप में त्यागी मानी जाएगी और मैं भविष्य में इस पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा ।
17. मैं,, सत्यनिष्ठा और शुद्ध हृदय से यह घोषणा करता हूं कि इस आवेदन में कथत, पूर्वगामी व शष्टियां सत्य हैं और मैं इसके सत्य होने का शुद्ध अंतःकरण से विश्वास करते हुए यह सत्यनिष्ठ घोषणा करता हूं ।

तारीख:.....

आवेदक के हस्ताक्षर :.....

तारीख, 20..... को मेरे समक्ष घोषणा की गई है और हस्ताक्षर किए गए हैं ।

**हस्ताक्षर

**पदनाम

राज्यनिष्ठा की शपथ

मैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं (या शपथ लेता हूं) कि मैं वध द्वारा स्थापित भारत के संवधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा और मैं ईमानदारी से भारत की वधियों का पालन करूंगा और भारत के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

.....

..

तारीख, 20..... को मेरे समक्ष प्रतिज्ञान किया गया/शपथ ली गई और हस्ताक्षर किए गए ।

**हस्ताक्षर.....

**पदनाम

*यदि भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण से है तो, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण के प्रमाणपत्र का नंबर और तारीख वर्णित करें ।

**नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

(सभी प्रकार से पूर्ण यह प्ररूप नियम 11क के अधीन उस नामनिर्दिष्ट अधिकारी को, नियम 11क में निर्दिष्ट सशक्त समिति को प्रेषित करने के लिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसकी अधिकारिता में आवेदक सामान्य रूप से निवासी है ।)

आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

1. अनुसूची 1क में के कसी दस्तावेज की प्रति
2. अनुसूची 1ख में के कसी दस्तावेज की एक प्रति
3. अनुसूची 1ग के अनुसार रूप वधान में शपथ-पत्र
4. व धमान्य या समाप्त हुए वदेशी पासपोर्ट की प्रति, यदि उपलब्ध हो
5. व धमान्य या समाप्त हुए निवासी पर मट की प्रति, यदि उपलब्ध हो
6. उसके पति/उसकी पत्नी की भारतीय नागरिकता का साक्ष्य, अर्थात् भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति
7. ववाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी कए गए ववाह प्रमाणपत्र की प्रति ।”;

"अनुसूची 1क

[नियम 10क देखें]

नागरिकता नियम, 2009

यह साबित करने के लिए दस्तावेजों की सूची क आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान का नागरिक है [धारा 6ख के अधीन आवेदन जमा करने वाले आवेदकों के लिए]

1. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रति
2. भारत में वदेशी प्रादेशक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या वदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट
3. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान में किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
4. अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पा कस्तान में स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय प्राधिकारी द्वारा जारी स्कूल प्रमाण पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र
5. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान सरकार या इन देशों से कोई अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी अभिकरण द्वारा जारी किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज
6. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र
7. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान में भूमि या करायेदारी अभिलेख
8. कोई भी दस्तावेज जो दर्शाता हो क आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी में से कोई एक, तीन देशों अर्थात् अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान में से किसी एक का नागरिक है या रहा है
9. अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान में सरकारी प्राधिकरण या सरकारी अभिकरण द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जो यह स्थापित करेगा क आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पा कस्तान से है

टिप्पण : उपरोक्त दस्तावेज उनकी वैधता अवधि के पश्चात भी स्वीकार्य होंगे।

[नियम 10क देखें]

नागरिकता नियम, 2009

यह साबित करने के लिए दस्तावेजों की सूची क आवेदक ने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है [धारा 6ख के अधीन आवेदन जमा करने वाले आवेदकों के लिए]

1. भारत आगमन पर वीजा और आव्रजन टिकट की प्रति
2. वदेशी प्रादेशक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या भारत में वदेशी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट।
3. जनगणना संबंधित सर्वेक्षण करते समय भारत में जनगणना प्रमाणों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जारी की जाने वाली पर्ची
4. भारत में सरकार द्वारा जारी अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र या परमिट (चालक अनुज्ञप्ति सहित, आधार कार्ड आदि)
5. आवेदक का भारत में जारी किया गया राशन कार्ड
6. सरकार या न्यायालय द्वारा शासकीय स्टाम्प के साथ आवेदक को जारी किया गया कोई पत्र ।
7. भारत में जारी आवेदक का जन्म प्रमाणपत्र ।
8. आवेदक के नाम पर भारत में भूमि या कराएदारी अभिलेख या रजिस्टर कराया करार ।
9. जारी करने की तारीख के साथ पैन कार्ड जारी करने वाला दस्तावेज ।
10. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी अन्य वृत्तीय संस्था जैसे बैंक या किसी अन्य लोक प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज ।
11. किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या उसके अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र ।
12. आवेदक के नाम पर बैंकों (प्राइवेट बैंकों सहित) या डाकघर खातों से संबंधित और उनके द्वारा जारी अभिलेख और खाता ब्यौरे ।
13. आवेदक के नाम पर भारत में बीमा कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसियां ।
14. आवेदक के नाम पर वद्युत संयोजन कागजात या वद्युत बिल या अन्य उपयोगिता बिल ।
15. आवेदक के संबंध में न्यायालय या अधिकरण अभिलेख या आदेशकाएं ।
16. कर्मचारी भवष्य निधि (ईपीएफ)साधारण भवष्य निधि,पेंशन,कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) दस्तावेजों द्वारा समर्थित भारत में किसी नियोजक के अधीन सेवा या नियोजन दर्शित करने वाला दस्तावेज ।
17. भारत में जारी आवेदक का वद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र ।
18. वद्यालय या महा वद्यालय या बोर्ड या विश्व वद्यालय अथवा शासकीय संस्था द्वारा जारी किया गया अकादमिक प्रमाणपत्र ।
19. आवेदक को जारी किया गया नगरपालिका व्यापार लाइसेंस ।
20. ववाह प्रमाणपत्र ।

टिप्पण : (i) उपरोक्त दस्तावेज कसी भारतीय प्राधकरण द्वारा जारी कए जाने चाहिए और वे उनकी वैधता अवध के आगे भी स्वीकार्य होंगे ।

(ii) दस्तावेजों से यह सद्ध होना चाहिए क आवेदक ने भारत में 31.12.2014 को या उसके पूर्व प्रवेश कया था ।

अनुसूची 1ग
[नियम 10क देखें]
नागरिकता नियम, 2009

आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त या नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ लया जाने वाला अनुप्रमाणित शपथ पत्र का नमूना [दस रूपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दिए जाने हेतु]

शपथ पत्र

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी

सत्यनिष्ठा से यह घोषित और पुष्टि करता हूँ कि :-

(i) मैं भारत में मेरे प्रवेश करने की तारीख को उस देश के हिन्दू/सख/बौद्ध/जैन/पारसी/ईसाई समुदाय (जो लागू न हो उसे काट दे) का अफगान/बांग्लादेशी/पाकिस्तानी नागरिक हूँ और इस आवेदन को प्रस्तुत करने की तारीख को उक्त समुदाय से ही संबन्धित हूँ और मैं (उक्त देश में पूरा डाक पता लखें) पर निवास करता था ।

स्थानीय प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाणपत्र* संलग्न है ।

(ii) क मैं गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा.का.नि. 685(अ) और आदेश सं० सा.का.नि. 686(अ), तारीख 07.09.2015 और अधिसूचना सं० सा.का.नि. 702(अ) और आदेश सं० सा.का.नि. 703(अ), तारीख 18.07.2016 के निबंधनानुसार पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन और वदेश्यों वषय अधिनियम, 1946 या उसके अधीन बनाए गए कसी नियम के उपबंधों या कए गए आदेशों के लागू होने से केंद्रीय सरकार द्वारा छूट प्राप्त हूँ ।

(iii) क मैंने भारत में.....को प्रवेश किया (यथा उपलब्ध तारीख, मास और वर्ष दिया जाए)

(iv) मैं यह जानता हूँ कि नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन मथ्या अभ्यावेदन करना या कसी सारवान तथ्य को छिपाना अपराध है और यदि बाद में यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा इस शपथ पत्र और/या पात्रता प्रमाणपत्र में कोई गलत सूचना प्रस्तुत की जाती है तो मैं मेरी भारतीय नागरिकता से आरंभ से ही वंचित हो जाऊंगा ।

सत्यापन

.....पर (स्थान)(तारीख, मास और वर्ष) को सत्यापित किया गया कि उपरोक्त शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें कुछ भी छिपाया गया नहीं है ।

अ भसाक्षी

स्टाम्प के साथ अनुप्रमाणित

*पात्रता प्रमाणपत्र

(स्थानीय प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्था से पात्रता प्रमाणपत्र का प्रारूप)

संबन्धित व्यक्ति के लिए

मैं,.....(नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी.....(नाम)
निवासी.....(पूरा डाक पता) संपुष्ट करता हूं क मैं
श्री/श्रीमती/सुश्री.....(अफगान/बांग्लादेशी/या कस्तानी नागरिक का नाम)
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....(नाम) निवासी.....(पूरा डाक पता) को जानता
हूं और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और वश्वास के अनुसार वह हिन्दू/सख/बौद्ध/जैन/पारसी/ईसाई समुदाय (जो
लागू न हो उसे काट दे) से संबं धत है और वह उपरोक्त वर्णत समुदाय का निरंतर सदस्य है ।

(हस्ताक्षर)

प्रमाणपत्र देने वाले व्यक्ति का नाम
सामुदायिक संस्था का नाम और पता
दूरभाष/मोबाइल सं०

स्थान

तारीख